

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No.2016/TG-I/23/YTSK/Suggestions

New Delhi, dated 16.03.2017

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO.23 OF 2017)

**Sub: Acceptance of railway dues/receipts through RTGS/ NEFT -
Procedure regarding transfer of funds by YTSK to railway
account.**

Please refer to this office letter of even number dated 13.10.2015 (CC No. 59 of 2015) wherein in para (iv) it was informed that YTSKL may also deposit the amount through RTGS/NEFT on daily basis as per instructions issued by Accounts Directorate vide no. 2012/ACII/9/11 dated 08.09.2015. Northern Railway, while referring to these instructions, has informed that Accounts department of their railway has raised an objection that instructions contained in letter dated 08.09.2015 issued by Accounts Directorate of Ministry of Railways is for transferring of funds by PSUs/State Governments to Railway account and not by private parties like YTSKL.

2. The matter has been examined in consultation with Accounts Directorate of Ministry of Railways and it is clarified that as already mentioned in the instructions in Commercial Circular No. 59 of 2015, the guidelines contained in the letter no. 2012/ACII/9/11 dated 08.09.2015 are also applicable to YTSKL.

2.1. YTSKLs may, however, be advised to ensure that at the time of transferring of funds, their banks should fill "all the columns" repeat all the columns of GAR-7 challan format failing which the amount deposited by them will not get reflected against their name and issuing of tickets by YTSKLs may get hampered.

3. Necessary instructions may be issued accordingly and it may be ensured that all transactions with YTSKL should be done through RTGS/NEFT.


(Amit Kumar Jain)

Director Traffic Commercial (G)
Railway Board


(T.D. Diwivedi)

Director Finance Accounts
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-226001.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं.2016/टीजी-1/23/वाईटीएसके/सजेशनस

नई दिल्ली, दिनांक 16.03.2017

मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 23)

विषय:- रेलवे की देय राशि/प्राप्तियों को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्वीकार करना-
वाईटीएसके के द्वारा रेलवे के खाते में निधि को ट्रांसफर कराना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 13.10.2015 के समसंख्यक पत्र (2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 59) का अवलोकन करें जिसमें पैरा (iv) में यह सूचित किया गया था कि वाईटीएसकेएल भी लेखा निदेशालय के दिनांक 08.09.2015 के पत्र सं. 2012/एसी-II/9/11 के माध्यम से जारी अनुदेशों के अनुसार रकम को दैनिक आधार पर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। उत्तर रेलवे ने इन अनुदेशों का हवाला देते हुए सूचित किया है कि उनकी रेलवे के लेखा विभाग ने आपत्ति उठाई है कि रेल मंत्रालय के लेखा विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 08.09.2015 के पत्र में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों द्वारा निधि को ट्रांसफर करने के विषय में है न कि वाईटीएसकेएल जैसी प्राइवेट पार्टियों द्वारा निधि को ट्रांसफर करने के संबंध में।

2. रेल मंत्रालय के लेखा विभाग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि जैसा कि 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 59 में दिए गए अनुदेशों में पहले ही उल्लेख किया गया है, 08.09.2015 के पत्र सं. 2012/एसी-II/9/11 में अन्तर्विष्ट मार्गनिर्देश वाईटीएसकेएल पर भी लागू होंगे।

2.1 बहरहाल, वाईटीएसकेएल को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि निधि को ट्रांसफर करते समय उनके बैंक जीएआर-7 चालन फार्मेट के सभी कॉलम भरें। ऐसा न करने पर उनके द्वारा जमा करायी गयी राशि उनके नाम के सामने प्रतिबिम्बित नहीं होगी और वाईटीएसकेएल द्वारा टिकटों को जारी करना बाधित हो सकता है।


3. तदनुसार, आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि वाईटीएसकेएल के साथ किए जाने वाला सभी प्रकार का लेन-देन आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाना चाहिए।



(अमित कुमार जैन)

निदेशक यातायात वाणिज्यिक (जी)

रेलवे बोर्ड



(टी डी द्विवेदी)

निदेशक, वित्त लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1) सीसीएमपीएस/पीएम व सीसीएम/, सभी क्षेत्रीय रेलें.
- 2) का. नि. सतर्कता(टी), का. नि. एफ(सी), निदेशक(सी), पीपीएस/एफसी, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड.
- 3) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
- 4) जनरल मैनेजर/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर.
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011.
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
